


दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
South Central Zone Cultural Centre, Nagpur
Ministry of Culture, Government of India



जा.क्र.दमक्षेसांकें/ऑ.सि.क्रॉ.मेला/ 1345 / 2024-25

दि. 17/12/2024

प्रिय शिल्पकार

विशय : दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर : "31 वॉ ऑरेंज सिटी क्रॉफ्ट मेला एवं लोकनृत्य समारोह", नागपुर - स्टॉल लगाने हेतु आमंत्रण।


महोदय/महोदया,

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उपरोक्त मेले का आयोजन दि.10 से 19 जनवरी 2025 तक करने जा रहा है। केंद्र पिछले 30 वर्षों से ऑरेंज सिटी क्रॉफ्ट मेला एवं लोकनृत्य समारोह का आयोजन सफलतापूर्वक करता आ रहा है और अब यह मेला राष्ट्रीय स्तर पर नागपुर की एक विशिष्ट पहचान के रूप में स्थापित हो चुका है। सम्पूर्ण देश के 200 से भी अधिक हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी एवं बिक्री, देश के सर्वश्रेष्ठ पारंपारिक लोक कलाओं एवं नृत्यों का आयोजन तथा परम्परागत भारतीय व्यंजन इस मेले की भव्यता को चार चोंद लगाते हैं। यह मेला हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों को एक सशक्त व्यवसायिक मंच भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्तर के इस क्रॉफ्ट मेले में आपके सहभाग हेतु आपको यह आमंत्रण प्रेषित किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हथकरघा या हस्तशिल्पियों को स्टॉल राशि में न केवल आकर्षक छुट ही दी जायेगी बल्कि स्टॉल आबंटन करते समय उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी। छुट की दरें निम्न हैं :

* राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार	-	25 प्रतिशत
* राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त कलाकार	-	15 प्रतिशत
* राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार	-	10 प्रतिशत

ऑरेंज सिटी क्रॉफ्ट मेले में भाग लेने संबंधी समस्त जानकारी आवेदन पत्र में संलग्न हैं। यदि आप इस मेले में भाग लेना चाहते हैं तो निर्धारित आवेदन पत्र, स्टॉल का किराये की डी.डी., पहचान पत्र (**valid Artisan Card**), राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार प्रमाणपत्र, प्रतीज्ञापत्र (नियमावली नुसार) दिनांक 24/12/2024 तक निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर को भेज दें। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कलाकारों को उपरोक्त छुट का लाभ उपरोक्त मेले में उनकी उपस्थिती पर निर्भर होगा।


निदेशक

द.म.क्षे.सां.केन्द्र, नागपुर

- नोट : (1) इस पत्र प्राप्ती का मतलब आपको स्टॉल आबंटित किया गया है ऐसा नहीं है। आबंटन करने का सम्पूर्ण अधिकार केंद्र निदेशक को होगा जिसकी अंतिम सूचि केंद्र के वेब साईट पर दी जाएगी। जिन हस्तशिल्पियों का चयन नहीं होगा उनके डी.डी. वापस कर दिये जाएंगे।
- (2) इस पत्र के साथ संलग्न नियमावली एवं प्रतीज्ञापत्र का अवलोकन करें।
- (3) अंतिम दि. 24/12/2024 समय शाम 5.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्विकार नही कीया जायेगा।
- (4) एक शिल्पकार को एक हि स्टॉल दिया जायेगा।
- (5) आवेदन पत्र में त्रुटीया पाने पर उसे अस्विकृत कीया जायेगा।
- (6) खुर्जा / ब्लू एवं अन्य पॉटरी शिल्प, टेराकोटा, फ़र्निचर, कारपेट, केन फ़र्निचर इन शिल्पकारों को इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है और इन शिल्पकारों को स्टॉल नही दिया जाएगा।

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

56/1, आमदार निवास के सामने, सिव्हील लाईन्स, नागपुर – 440 001

टेलिफोन नं. 0712-2565107

ईमेल—sczccnagpur1986@gmail.com

31वॉ ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, नागपुर

दिनांक 10 से 19 जनवरी 2025

Passpost Size
Photo

Not for NGOs or
Govt. Agencies

हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों के लिए स्टॉल आबंटन संबंधी आवेदन पत्र (अहस्तांतरणीय)

- व्यक्ति या संस्था का नाम :
- पता :
- दूरध्वनि क्र..... मोबाईल क्र.
ईमेल
- शिल्प प्रकार का ब्यौरा :
- स्टॉल प्रकार :

क्र.	साईझ 10' x 10' आकार के स्टॉल	कीमत (रूपये) (For Artisans/ NGO/ Govt. Agencies)			√
		Amount	G.S.T. (18%)	Total Amount	
1	General 10'x10' आकार का स्टॉल	Rs.40,000/-	Rs.7200/-	Rs.47,200/- (Inclusive of G.S.T.)	
2	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार	Rs.30,000/-	Rs.5400/-	Rs.35,400/- (Inclusive of G.S.T.)	
3	राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त शिल्पकार	Rs.34,000/-	Rs.6120/-	Rs.40,120/- (Inclusive of G.S.T.)	
4	राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार	Rs.36,000/-	Rs.6480/-	Rs.42,480/- (Inclusive of G.S.T.)	

- इसके पूर्व आपने नागपुर में ऑ.सि.क्रा.मेले में भाग लिया हो तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा दें ।

- क्या आप को राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो सम्मान अथवा पुरस्कार का पूर्ण विवरण

* पुरस्कार/सम्मान का नाम :

* संस्था का नाम जिसके द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया:.....

* वर्ष :

- मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हथकरघा या हस्तशिल्पियों को स्टॉल राशि में निम्नलिखित छुट दी जायेगी :

- * राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार — 25 प्रतिशत
- * राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त शिल्पकार — 15 प्रतिशत
- * राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार — 10 प्रतिशत

कृ.पि.दे.

9. स्टॉल की राशि रू..... रसीद क्र..... दिनांक
मैंने भाग "अ" में दर्शायी गई सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं इन शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ एवं उनका पालन करूंगा/करूंगी ।

स्थान :

दिनांक :

शिल्पकार/संस्था का नाम एवं हस्ताक्षर

नोट : स्टॉल आरक्षण हेतु "अ" में दर्शाये शर्तों के अनुसार दर्शाई गई राशि का भुगतान सिर्फ डीमाण्ड ड्राफ्ट Director, South Central Zone Cultural Centre, payable at Nagpur के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजे ।

कार्यालयीन उपयोग के लिये

स्टॉल आरक्षण हेतु स्टॉल राशि रू..... लेखा विभाग कार्यालय में जमा करना है ।

सहायक :

क. सहायक :

सहायक लेखा :

सलाहकार लेखा :

सहायक :

प्रशा. एवं लेखा अधिकारी :

उप निदेशक (प्रभारी) :

निदेशक (प्रभारी) :

स्टॉल राशि की रक्कम रू. ----- नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र..... बैंक..... द्वारा रसिद क्र. ----- दि. ----- को प्राप्त हुये ।

प्रशा. एवं लेखा अधिकारी
द.म.क्षे.सां.केन्द्र, नागपुर

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
31वाँ ऑरेंज सिटी क्रॉफ्ट मेला, नागपुर

नि य मा व ली . "अ"

- (1) स्टॉल के निर्धारित न्यूनतम दर प्रति स्टॉल रु.47,200/-(10' x 10') होगी (G.S.T. की राशि जोड़कर)। उपरोक्त राशि केवल शिल्पियों तथा गैर सरकारी संस्थाओं एवं सरकारी संस्था के लिये निर्धारित हैं। प्रत्येक स्टॉल के लिए केन्द्र द्वारा 2 कुर्सी, 2 टेबिल एवं 2 ट्यूब लाईट दिये जायेंगे। तथा आवंटन की गयी जगह से ज्यादा जगह का इस्तेमाल किया गया या करते हुये देखा गया तो यह अतिरिक्त राशी नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत जप्त की जाएगी।
- (2) स्टॉल में स्वयं निर्मित शिल्प ही स्टॉल में रखना होगा। मशीन द्वारा बनाई गयी अथवा व्यवसायिक वस्तुएँ स्टॉल में बिक्री एवं प्रदर्शन हेतु नहीं रख सकेंगे। विकास आयुक्त हेन्डलूम/हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित शिल्पकार का पहचान पत्र होना (**valid Artisan Card**) आवश्यक है, उस आधार पर ही स्टॉल आवंटित किया जायेगा।
- (3) स्टॉल का आवंटन करते समय उन शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो **National Awardee, National Merit Certificate Awardee एवं State Awardee** हैं। इन शिल्पकारों का सम्मान रखते हुये उनको स्टॉल के दर में निम्ननुसार रीयायत (**Concession**) भी दिया जायेगा।
 - (1) National Awardee – 25% - Rs.35,400/- (G.S.T. की राशि जोड़कर)
 - (2) National Merit Certificate Awardee – 15% - Rs.40,120/- (G.S.T. की राशि जोड़कर)
 - (3) State Awardee – 10% - Rs.42,480/- (G.S.T. की राशि जोड़कर)
 - (4) Demonstration (प्रात्याक्षिक हेतु) -- 10 % (मेला खत्म होने के पश्चात)
- (4) **शिल्पकार को रहने की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पे करनी होगी। मेला परीसर मे रुकना मना है।**
- (5) शिल्पकारों को यदी इस क्रॉफ्ट मेले में भाग लेना है तो अपने आवेदन पत्र के साथ-साथ वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र,फोटो एवं किराया राशि का डी.डी.पुरस्कार प्रमाणपत्र एवं हस्ताक्षर सहित प्रतिज्ञापत्र संलग्न करना होगा। ओरिजिनल पहचान पत्र एवं पुरूस्कार प्रमाणपत्र मेले के समय अपने साथ रखें।
- (6) समस्त शिल्पकारों को सहभाग हेतु किसी भी प्रकार का आने जाने का किराया, प्रवास भत्ता, मानधन एवं आवास/भोजन का खर्च नहीं दिया जायेगा। **शिल्पकार को मेले दरम्यान स्वयं हाजीर रहना होगा।**
- (7) मेला प्रतिदिन **दोपहर 02 बजे से शुरू होगा एवं रात्रि 09 बजे तक जारी रहेगा।**
- (8) किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यक्रम प्रभारी या निदेशक द.म.क्षे.सां.केन्द्र, नागपुर द्वारा ही दी जायेगी।
- (9) मेले के लिए लायी गई सामग्री को मेला खुलने के पूर्व 02 बजे तक अपने स्टॉल में व्यवस्थित साफ सुथरा रखना होगा। परिसर की स्वच्छता पर भी ध्यान रखना होगा।
- (10) स्टॉल या खुली जगह को आवंटित करने का पूर्ण अधिकार मा. निदेशक को रहेगा।
- (11) स्टॉल एवं केन्द्र परिसर में धूम्रपान, मद्यपान एवं किसी भी प्रकार का नशा करना अथवा भोजन पकाना सक्त मना है।
- (12) यदि कोई शिल्पकार पहले ब्लॉक लिस्ट हुआ है और वह दुसरे के नाम पर स्टॉल लेता है, वह केन्द्र के अधिकारी के ध्यान में आने से ब्लॉक लिस्ट धारक व जिसके नाम से स्टॉल लिया है उसे भी ब्लॉक लिस्ट किया जायेगा तथा स्टॉल आबंटन रद्द किया जायेगा तथा उनकी जमा राशी जप्त की जाएगी।
- (13) यदि किसी कारणवश स्टॉल आकार एवं प्रकार में बदल होता है तो वह शिल्पकार को सुचित किया जाएगा एवं उसे ये मान्य करना होगा।
- (14) किसी भी विवाद में अथवा निर्णय में केन्द्र के मा. निदेशक का निर्णय अंतीम रहेगा।
- (15) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती में उसका परिक्षेत्र नागपुर उच्च न्यायालय रहेगा।
- (16) नियमों का उल्लंघन करने पर केन्द्र किसी भी प्रकार के जान व माल के नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। शिल्पकार यदि चाहें तो वे अपना एवं अपने सामान का बीमा स्वयं के खर्चे पर करवा सकते हैं।
- (17) क्रॉफ्ट मेले के दरम्यान स्टॉल खाली करने पर पूर्ण अधिकार मा.निदेशक को होगा तथा स्टॉल की राशि वापीस नहीं की जायेगी।
- (18) समस्त भुगतान केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी जो कि निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर के नाम रहेगा।
- (19) **स्टॉल का आवंटन दि. 09/01/2025 को दोपहर 2 बजे ड्रॉ सिस्टम द्वारा किया जायेगा।**
- (20) मेले में जो शिल्पकार सहभागी होंगे उनको 02 पहचान पत्र दिये जायेंगे एक शिल्पकार और एक सहायक शिल्पकार को प्लास्टीक, थर्माकोल से बनाए वस्तु बेचने तथा पॅकींग करने हेतु उपयोग करने पर पूर्ण रूप से बंदी रहेगी।
- (21)

हस्ताक्षर/—

निदेशक,

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

प्रतिज्ञापत्र

- (1) मुझे खुली जगह/स्टॉल लॉटरी द्वारा आवंटित किए गये अनुसार आवंटित स्टॉल नहीं बदलूंगा/बदलूंगी । यदि मैं आवंटित स्टॉल धारण नहीं करता/करती हूँ तो भुगतान की गई राशि नहीं मांगूंगा/मांगूंगी ।
- (2) मैं स्टॉलधारक शिल्प सामग्री के लिए राशि जमा करूंगा/करूंगी उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य शिल्प सामग्री को स्टॉल में नहीं रखूंगा/रखूंगी एवं तैयार भी नहीं करूंगा/करूंगी । यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई गई तो मेरा स्टॉल रद्द करने का अधिकार आयोजक का होगा एवं स्टॉल राशि वापिस नहीं लूंगा/लूंगी ।
- (3) मैं, स्टॉलधारक अपना स्टॉल एवं स्टॉल के बाजु में खुली जगह साफ सुथरी रखूंगा/रखूंगी ।
- (4) मेले के प्रथम दिन प्रत्येक शिल्प की निर्धारित की गई किमत व मात्रा को मेले के दरम्यान अन्य दिनों में किसी भी हालत में घटाया या बढ़ाया नहीं जायेगा ।
- (5) मेरे स्टॉल में रखे सभी शिल्प व अन्य वस्तुओं की सुरक्षा मैं स्वयं करूंगा/ करूंगी ।
- (6) मुझे आवंटित स्टॉल में ही मैं अपने शिल्पों की सामग्री की बिक्री एवं बैठक व्यवस्था करूंगा/करूंगी । उसके आसपास किसी भी परिस्थिति में अन्य जगह का उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी ।
- (7) कचरा डालने हेतु मैं अपना स्वयं का कूड़ादान रखूंगा/ रखूंगी ।
- (8) मैं दोपहर 01 बजे स्टॉल शुरू करूंगा/करूंगी और रात 09 बजे स्टॉल बंद करूंगा/करूंगी ।
- (9) मुझे आवंटित स्टॉल अथवा खुली जगह मेला के एक दिन पहले दोप. 3 बजे से दिये जाने पर सामग्री रखूंगा/रखूंगी ।
- (10) स्टॉल या खुली जगह को आवंटित करने का पूर्ण अधिकार कार्यक्रम प्रमुख को रहेगा इसमें किसी प्रकार का मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा /करूंगी ।
- (11) यदि मैं मेले के एक दिन पहले तक आवंटित स्टॉल को अपने कब्जे में नहीं लेता/लेती हूँ तो आयोजक उस खाली स्थान/जगह को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर सकेंगे जो मुझे स्वीकार होगा । मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा/ करूंगी ।
- (12) मैं अपनी आवंटित जगह का कोई भी हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को किराये से नहीं दूंगा/दूंगी । मैं सिर्फ एक ही प्रकार का शिल्प रखूंगा/रखूंगी ।
- (13) मेले के अंतिम दिन जब मैं अपने शिल्प की समस्त सामग्री ले जाऊंगा/जाऊंगी तो केन्द्र के बाहर जाने के पूर्व मैं केन्द्र के प्राधिकृत अधिकारी से अनापत्ति प्रपत्र प्राप्त करूंगा/करूंगी । मैं बगैर अनापत्ति प्रपत्र के सामग्री बाहर नहीं ले जाऊंगा/जाऊंगी । मैं नियम का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी ।
- (14) मैं मेला खत्म होने के तुरंत बाद अपनी समस्त सामग्री मेला ग्राऊंड से बाहर ले जाऊंगा/जाऊंगी । यदि मैं सामग्री बाहर नहीं ले गया/गयी तो **₹.5,000/-**प्रतिदिन के हिसाब से राशि जमा करूंगा/करूंगी ।
- (15) मैं स्टॉल में अथवा केन्द्र परिसर में चाय,नाश्ता, भोजन नहीं बनाऊंगा/बनाऊंगी ।
- (16) मैं स्टॉल में संगीत उपकरण का उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी ।
- (17) मुझे आयोजक की ओर से प्राप्त पहचान पत्र मैं किसी को हस्तांतरित नहीं करूंगा/करूंगी ।
- (18) मैं केन्द्र के निदेशक का क्रॉफ्ट मेला संबंध में या किसी भी प्रकार के विवाद में निर्णय लेने का तथा अन्य अधिकारों व निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी और उनके द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा ।
- (19) मैं आने जाने का किराया, आवास एवं भोजन का खर्च स्वयं करूंगा/करूंगी । आवास, भोजन की व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा/करूंगी । (केन्द्र परिसर के बाहर)
- (20) मेले में आने वाले दर्शक, ग्राहक, अन्य स्टॉल धारक एवं कार्यालयीन कर्मचारी के साथ मेरे द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर आयोजक द्वारा मेरा स्टॉल बंद करने पर मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी ।
- (21) **केन्द्र परिसर में धूम्रपान व किसी भी प्रकार का नशा/पानी नहीं करूंगा/करूंगी ।**
- (22) मैं उपरोक्त नियमों का उलंघन करता/करती हूँ तो मेरा स्टॉल आयोजक द्वारा तुरंत बंद करने पर तथा मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने पर मुझे कोई आपत्ती नहीं रहेगी । भविष्य में मुझे मान्य होगा ।
- (23) किसी भी विवाद में अथवा निर्णय में केन्द्र के मा. निदेशक का निर्णय मुझे मान्य होगा ।
- (24) यात्रा के दौरान अथवा मेले में किसी भी प्रकार के सामान गुम अथवा जान व माल के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी केन्द्र की नहीं होगी ।
- (25) **नोट : आवेदक यदि चाहे तो वह अपना एवं अपने सामान का बीमा स्वयं के खर्च पर करवा सकते हैं ।**
स्टॉल आवंटित करने का सम्पूर्ण अधिकार/अंतिम निर्णय केन्द्र निदेशक का होगा की जो कार्यक्रम के एक दिन पहले होगा ।

(मैंने उपरोक्त प्रतिज्ञापत्र की एवं नियमावली शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है एवं सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर हैं एवं उनका पालन करूंगा/करूंगी)

निम्न स्वाक्षरी पुरे होश हवास में नशाविरहीत व्यवस्था में कर रहा/रही हूँ ।

दिनांक :

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

(1)गवाह के हस्ताक्षर:

नाम :

नाम :

स्थान:.....

(2)गवाह के हस्ताक्षर:

नाम :